यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़, के माह 05/2016 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार व श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री अंकित पांडे, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17/10/2018 से 26/10/2018 तक .....लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेय क्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री डी. के. मट्टू सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री मनोज सिंह पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 07/05/2016 से 16/05/2016 तक संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 05/2013 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(iii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार : ज़िला पिथौरागढ़ के विकासखंड, विण, मूनाकोट, कनालीवीना, डीडीहाट, बेरीनाग एवं गंगोलीहाट के अंतर्गत समस्त क्षेत्र में कृषकों की सिंचन क्षमता उपलब्ध कराना एवं नदियों व नालों के किनारे बाढ़ सुरक्षा का कार्य।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	-	-	284.51	284.51	425.93	425.90				0.03
2016-17	-	-	282.00	282.00	238.64	238.63				0.01
2017-18	-	-	318.50	318.50	246.71	245.76				0.95
2018-19 (09/2018)			230.00	84.54	89.00	0.25				88.75

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(iv) इकाई को बजट भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "B" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखंड
2. प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष, सिचाई विभाग, देहरादून
3. मुख्य अभियंता (स्तर-2), सिचाई विभाग, अल्मोड़ा
4. अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़
5. अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, पिथौरागढ़

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2008 एवं 6/2016 को विस्तृत जांच हेतु एवं विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधिशासी अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक शून्य का निरीक्षण किया गया।
2. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी **09/2013** तक की गयी।
3. फार्म-51 माह माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है :
4. भाग प्रथम:..रु (-) 47788.41

भाग दितीय: रु 742295.62

5॰ खंड के उच्यंत लेखो का अवशेष माह **09/2018** के अंत मे

(क)प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : रु 391963.00

(ख)सामग्री क्रय : शून्य

(ग) नगद परिशोधन : शून्य

(घ) निक्षेप : रु 30168309.00

(ङ) भंडार : रु 100795108.00

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1 - नहरों से सींच लक्ष्यों की प्राप्ति न होना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़ के सींच एवं नहरों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत परिचालित 108 नहरे जिनका CCA 2901 हेक्टेयर था। उनके द्वारा विगत 03 वर्षों (वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18) तक अधिकतम 830 हैक्टेयर एवं न्यूनतम 20 हैक्टेयर सींच ही उपलब्ध कराई जा रही थी जो कि प्रस्तावित सींच का 28.61 प्रतिशत एवं .68 प्रतिशत है (विवरण संलग्न है), तथा उक्त नहरों की मरम्मत पर विगत तीन वर्षो मे रु॰ 403.70 लाख व्यय करने के उपरांत भी कुल सीसीए मे से लगभग 2881 हेक्टेयर भूमि वर्तमान मे भी असिचित थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तावित सींच के सापेक्ष .68 प्रतिशत से 28.61 प्रतिशत सींच उपलब्ध कराने एवं 2881 हेक्टेयर भूमि असिंचित रहने के प्रश्न पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खंड द्वारा सींच दर्ज न करने एवं नहरों के छतीग्रस्त होने के कारण कम सींच प्राप्त हो रही है तथा अधिकतम सींच प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि खण्ड का मुख्य कार्य ही स्थानीय किसानो को सींच प्राप्त कराना है, खण्ड द्वारा उसके अंतर्गत नहरों की सींच को लगातार दर्ज किया जाना चाहिए ताकि कम सींच देनी वाली नहरों की मरम्मत आदि कर पूर्ण सींच की प्राप्ति की जा सके। खण्ड के अभिलेखो के अनुसार विगत तीन वर्षों से लगातार उक्त नहरों से कम सीच प्राप्त

हो रही है जबकि खण्ड द्वारा इस अवधि में उक्त 108 नहरों पर रु॰ **403.70 लाख** की धनराशि भी व्यय की है।

अतः खण्ड द्वारा नहरों के प्रस्तावित सींच लक्ष्यों को प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर -2 : उप खनिजों पर रु 97428.56 रायल्टी कम वसूली।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ के अंतर्गत देवत जलाशय के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखो जांच मे पाया कि उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/**VII-1/24-**ख/2007 देहारादून दिनांक 26/02/2016 को विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू या मोरम बजरी या वोल्डर या इसमे से कोई भी मिलीजुली अवस्था में हो की विद्धमान रायल्टी की दरें रु 50.00 प्रति टन या रु 90.00 प्रति घनमीटर के स्थान पर रु 194.50 प्रति घनमीटर प्रतिस्थापित किया गया था तथा शासनादेश में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि "यह तुरंत प्रवृत होगी"। इसके अनुसार खण्ड के द्वारा प्रतिस्थापित रायल्टी की दर रु 194.50 प्रति घनमीटर के स्थान पर रु **90.00** एवं रु **80.00** प्रति घनमीटर पुरानी दरों से ही वसूला जा रहा है। जिस कारण से उक्त शासनादेश के पश्चात किए गए देवत जलाशय से संबन्धित कार्यों के **IV** देयक से रु 97428.56 रायल्टी कम वसूला गया है। उक्त के संबंध में यह इंगित करने पर खंड ने उत्तर मे बताया कि रायल्टी दरों में संशोधन से संबन्धित आदेश के अनुपालन मे संशोधित दरों के कारण कम काटी गयी रायल्टी रु 97428.56 की ठेकेदार के अंतिम बिल से वसूली कर ली जायेगी।

खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त कार्य के **IV** देयक से रायल्टी की कम कटौती की गई थी, जो कि संशोधित दर रु 194.50 प्रति घन मीटर की दर से कटौती की जानी चाहिए थी

अत: रु 97428.56 रायल्टी कम वसूले जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

IV देयक के अनुसार कुल उपयोग उपखनिजो की मात्रा एवं कुल रायल्टी
Sand= 166.69cum *194.5/m^3 = रु 32421.20
Stone= 418.78cum *194.5/m^3= रु 81452.71
Agg.= 57.70cum * 194.5/m^3= रु 11222.65
कुल कटौती की जानी चाहिए थी = रु 125096.56
IV से कटौती की गयी रायल्टी = रु 27668.00
अवशेष रायल्टी = रु 97428.56

भाग -II(ब)

प्रस्तर-3 <u>रु0 9.80 करोड़ का Unaccounted स्टॉक</u>

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ के स्टॉक एवं टी & पी पंजिका की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा स्टॉक कि अर्द्वार्षिक लेखाबन्दी 9/2012 एवं टी & पी की वार्षिक लेखाबन्दी 9/2014 के बाद वर्तमान (9/2018) तक न तो इन पंजिकाओं का रख - रखाव किया गया और न ही लेखाबन्दी की गयी है ! साथ ही यह भी पाया गया कि 9/2012 में स्टॉक का मूल्य रु0 28,15,436/= था जब कि वर्तमान (9/2018) के मासिक लेखा के प्रपत्र 72-73 के अनुसार स्टॉक का मूल्य रु0 10,07,95,108/= दर्शयाया गया है ! यानि रु0 9,79,79,672/= मूल्य के स्टॉक की बढ़ोतरी हुयी है ! स्टॉक की बढ़ोतरी की जांच हेतु स्टॉक क्रय से संबन्धित अभिलेख / सप्लाइ ऑर्डर की मांग करने पर खण्ड द्वारा संबन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए !

उक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि विगत वर्षो में खण्ड में कर्मचारियों की कमी के कारण स्टॉक एवं टी & पी की लेखाबन्दी नहीं हो पाई ! भविष्य में स्टॉक एवं टी & पी की लेखाबन्दी की जाए गी एवं रख-रखाव किया जाए गा ! रु0 9,79,79,672/= के स्टॉक की वृद्धि के सम्बंध में अवगत कराया गया कि इसकी छानबीन करने के उपरान्त कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा) को शीघ्र ही अवगत कराया जाए गा !

लेखापरीक्षा को इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यौंकि रु0 9,79,79,672/= के स्टॉक की वृद्धि से संबन्धित अभिलेख / सप्लाइ ऑर्डर लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना लेखों में गंभीर वित्तयी अनियमिता कि और इंगित करता है !

अतः प्रकरण को उच्च अधिकार्यों के संज्ञान में लाया जाता है !

भाग - 2ब

प्रस्तर-4 : समय पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के कारण रु. 32,904 अधिक भुगतान

अधिशासी अभियंता सिचाई खण्ड के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय मे कार्यरत कर्मचारी श्रीमती राधिका देवी (बेलदार) को दिनांक 16/03/2014 को 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पर द्वितीय ए. सी. पी. का लाभ देते हुए कुल वेतन रु.10,450 (बेसिक रु.8050+ ग्रेड वेतन 2400) पर वेतन निर्धारण किया गया. इसके पश्चात उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि माह जनवरी 2015 तय की गई. इस प्रकार कर्मचारी का 01 जनवरी 2015 को वेतन रु. 10,770 [पिछला बेसिक (8050) + 3% वेतन वृद्धि(10,450 X 3% = 320) + ग्रेड वेतन (2400)] निर्धारित किया गया. इसी प्रकार से कर्मचारी का 01 जनवरी 2016 को बेसिक वेतन रु. 8700(पिछला बेसिक 8370 + 10770 X 3%) होना चाहिए.

कर्मचारी को 1 जनवरी 2016 को सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार वेतन निर्धारण करते हुए 31/12/2015 के बेसिक वेतन रु. 8370 को 2.57 से गुणा किया जाना चाहिए था. किन्तु उक्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण में 01 जनवरी 2016 का बेसिक वेतन रु. 8700, को 2.57 से गुणा कर रु. 28700 पर निर्धारित किआ गया. उक्त वेतन निर्धारण नियम के बिपरीत था, क्योकि नियमानुसार 31/12/2015 के वेतन को 2.57 से गुणा किआ जाना चाहिए था. इसके विपरीत 01/01/2016 के बेसिक वेतन को 2.57 से गुणा किया गया. अतः उक्त प्रकार से वेतन निर्धारण करने पर कर्मचारी को 01 जनवरी 2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि देकर वेतन निर्धारण किया गया. कर्मचारी को माह जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है. माह जनवरी 2016 को एक वेतन वृद्धि दिए जाने के बावजूद माह जुलाई 2016 में कर्मचारी को एक और वेतन वृद्धि डी गई जो कि नियमो के विपरीत है.

माह जुलाई 2016 को कर्मचारी का बेसिक वेतन रु. 28,700 होना चाहिए था, किन्तु कर्मचारी द्वारा माह जुलाई 2016 को रु. 29,600 आहरित किया गया. इस प्रकार एक वर्ष में 2 बार वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के कारण आतिथि तक कर्मचारी को रु. 32,904(केवल बेसिक तथा मंहगाई भत्ता) (Due/Drawn संलग्न) अधिक भुगतान किया गया खण्ड को कर्मचारी के वेतन निर्धारण में हुए विसंगति के बारे में अवगत करने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया की वेतन निर्धारण में हुई त्रुटी का निराकरण कर लिया जाएगा. खण्ड के उत्तर से स्वतः ही लेखापरीक्षा के आपात्ति की पुष्टि होती है. अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है.

STAN

प्रस्तर 1- विभागीय शिथिलता के कारण रु 2.53 करोड़ की धनराशि की वसूली का लंबित रहना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 2018) कि खण्ड के अंतर्गत 08 नहरें ऐसी थी जो लोक निर्माण विभाग एवं ए0डी0बी0 पिथौरागढ़ एवं बेरीनाग द्वारा क्षतिग्रस्त की गयी थी (वर्ष 2006 से वर्ष 2018 के मध्य)। उक्त क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत हेतु खण्ड को रु 3.91 करोड़ की धनराशि लो.नि.वि. एवं ए0डी0बी0 पिथौरागढ़ एवं बेरीनग से प्राप्त की जानी थी किन्तु विभाग द्वारा वर्तमान तक मात्र 1.38 करोड़ की धनराशि ही प्राप्त की गयी थी जबकि रु 2.53 करोड़ की वसूली अभी भी लंबित थी जिससे सिंचन क्षमता भी प्रभावित थी।

क्र. सं	नहर का नाम	क्षतिग्रस्त होने का वर्ष	लम्बाई कि०मी० मे	क्षतिग्रस्त होने का कारण	प्रेषित प्राक्कलन की लागत (रु लाख मे)	विभिन्न विभागो से प्राप्त धनराशि	वसूली हेतु लंबित धनराशि
1	राड़ीखूंटी नहर	2006-07		लो०निवि० पिथौरागढ़	35.52	0.00	35.52
2	गराऊ नहर	2014-15		पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट	34.79	0.00	34.79
3	सारतोला नहर	2006-07		लो०निवि० बेरीनाग	18.00	0.00	18.00
4	सिरसोली नहर	2006-07		लो०निवि० बेरीनाग	9.18	0.00	9.18
5	बुशैल नहर	2017-18		लो०निवि० बेरीनाग	155.89	0.00	155.89
6	जजुरनी नहर	2013-14	4.050	लो०निवि० पिथौरागढ़	37.04	37.04	0.00
7	बिछुल नहर	2013-14	2.610	ए०डी०बी० पिथौरागढ़	67.38	67.38	0.00
8	सुवालेख नहर	2012-13	2.150	ए०डी०बी० पिथौरागढ़	33.73	33.73	0.00
Total					**391.53**	**138.15**	**253.38**

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उक्त को स्वीकार्य कराते हुए उत्तर में बताया गया कि धनराशि की वसूली हेतु लो.नि.वि. एवं ए0डी0बी0 पिथौरागढ़ से पत्राचार किया जा रहा है।

खण्ड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा लो.नि.वि. एवं ए0डी0बी0 पिथौरागढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत हेतु रु 2.53 करोड़ की धनराशि की वसूली लंबित थी । लेखापरीक्षा द्वारा संबन्धित विभाग (लो.नि.वि. एवं ए0डी0बी0 पिथौरागढ़) से धनराशि की वसूली हेतु किए गए पत्राचार की छायाप्रति मागे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गए,जिससे स्पष्ट होता है कि खण्ड द्वारा उक्त धनराशि की वसूली हेतु पर्याप्त पत्राचार भी नही किया गया ।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण लो.नि.वि. एवं ए0डी0बी0 से क्षतिग्रस्त नहरों हेतु रु 2.53 करोड़ की धनराशि की लंबित वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 <u>बिना स्वीकृत घटा-बड़ी (Variation) के रु0 34,156/= का अनुचित व्यय</u>

ज़िला योजना के अंतर्गत मानी खेत नहर का जीर्णोदार (3 कि0मि0)के कार्य हेतु रु0 27.54 लाख की प्राविधिक स्वीकृति माह 12/2013 में प्राप्त थी ! कार्य से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया खण्ड द्वारा कार्य निष्पादन हेतु कार्य को टुकड़ों में विभाजित करते हुये कुल 14 अनुबंध एवं 11 वर्क ऑर्डर गठित किये ! अनुबंधों की जांच के दौरान पाया गया कि ठेकेदारों को निम्न अनुबंधों में अनुबंधित धनराशियों के सापेक्ष अधिक भुगतान किया गया है जिस के संबंध में खण्ड द्वारा कोई भी स्वीकृत घटा-बड़ी (Variation) प्रस्तुत नहीं किया :

संख्या	अनुबंध संख्या	अनुबंधित धनराशि (रु०)	भुगता राशि (रु0)	अधिक व्यय (रु0)
1.	19/AE-III/15-16	1,83,108	1,97,897	14,789
2.	10/AE-III/15-16	1,92,190	1,98,552	6,362
3.	13/AE-III/15-16	1,95,285	1,99,604	4,319
4.	22/AE-III/15-16	1,95,389	1,99,994	4,605
5.	7/AE-III/15-16	1,14,625	1,18,706	4,081
कुल		8,80,597	9,14,753	34,156

इस प्रकार खण्ड द्वारा बिना स्वीकृत घटा-बड़ी (Variation) के रु0 34,156 का अनुचित व्यय कार्य पर किया गया है ।

उक्त की और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा बतलाया गया कि स्वीकृत घटा-बड़ी (Variation) बाद में प्रस्तुत किया जाएगा ।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नेही है कियौंकि खण्ड के पास यदि स्वीकृत घटा-बड़ी (Variation) होते तो अन्य स्वीकृत घटा-बड़ी (Variation) के साथ संबन्धित घटा-बड़ी (Variation) भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये होते ।

अतः प्रकरण को उच्च अधिकार्यों के सं ज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1.	**14/2001-02**	**1,2**	**1**
2.	**22/2004-05**	**0**	**1,2,3**
3.	**41/2005-06**	**1**	**1**
4.	**75/2006-07**	**0**	**1,2,3**
5.	**27/2008-09**	**0**	**1**
6.	**36/2010-11**	**0**	**1,2**
7.	**71/2011-12**	**0**	**1,2,3**
8.	**15/2013-14**	**0**	**1**
9.	**23/2016-17**	**0**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन अनुपालन आख्या प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़,** उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री बी एस कोरङ्गा	अधिशासी अभियन्ता
2.	श्री पी. एस. बिष्ट	अधिशासी अभियन्ता
3.	श्री पी.के. दीक्षित	अधिशासी अभियन्ता
4.	श्री संजय श्रीवास्तव	अधिशासी अभियन्ता
5.	श्री फरहान खान	अधिशासी अभियन्ता

4. **लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखा अधिकारियों द्वारा कार्यभार वहाँ किया गया ।**

   1. श्री निखिल राज
   2. श्री शंभू कुमार
   3. श्री शिवम सिंह

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र -2